

आदेश संख्या- 02/2025

(विश्राम कक्ष)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली
दिनांक 01.05.2025

दाण्डिक वादों के समस्त दाण्डिक न्यायालयों में साम्य वितरण के दृष्टिगत माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से पूर्व विचार-विमर्श के उपरान्त न्याय प्रशासन के सुचारु संचालनार्थ थाना कांघला एवं थाना गढ़ीपुख्ता के कार्य वितरण की व्यवस्था हेतु पारित पूर्व आदेश 29.04.2025 को निम्न सीमा तक संशोधित करते हुए नवीन व्यवस्था पुनः प्रतिपादित की जाती है -

- 1- माननीय सत्र न्यायालय द्वारा या किसी विशेष न्यायालय द्वारा सीधे संज्ञान लिये जाने वाले मामलों को छोड़कर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 304बी, 304 व 396/धारा 103, 80, 105 व 310 (3) भारतीय न्याय संहिता के मामलों, सम्पूर्ण जनपद का बाल श्रम अधिनियम, खान व खनिज अधिनियम, केबल नेटवर्कस (रेगुलेशन) अधिनियम, वन अधिनियम व सर्किल शामली एवं सर्किल कैराना के आबकारी निरीक्षक द्वारा चालानी, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, चलचित्र अधिनियम, संभागीय परिवहन अधिकारी चालानी, लोक सेवकों के विरुद्ध प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अतर्गत धारा 156(3) द.प्र.सं./173(4) बी०एन०एस०एस० की सुनवाई का अधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली को होगा, शेष अधिनियमों के सम्बंध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार सम्बंधित थाना के क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को होगा।
- 2- न्यायालय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना में लंबित थाना कांघला से सम्बन्धित दाण्डिक वादों का समस्त क्षेत्राधिकार वापस लेकर न्यायालय सिविल जज (जू० डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना में स्थानान्तरित किया जाता है।
- 3- न्यायालय सिविल जज (सी० डि०)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना में लंबित थाना गढ़ीपुख्ता से सम्बन्धित दाण्डिक वादों के समस्त क्षेत्राधिकार वापसी के सम्बन्ध में पूर्व पारित आदेश दिनांकित 29.04.2025 को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि न्यायालय सिविल जज (सी० डि०)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना में लंबित थाना गढ़ीपुख्ता से सम्बन्धित दाण्डिक वादों का समस्त क्षेत्राधिकार वापस लेकर न्यायालय सिविल जज (सी० डि०)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली में स्थानान्तरित किया जाता है।
- 4- उपरोक्त आदेश माननीय जनपद न्यायाधीश, शामली के अनुमोदन के उपरान्त दिनांक 03.05.2025 से प्रभावी होगा।

Pastilla
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शामली।

प्रतिलिपि -

- 1- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को अनुमोदनार्थ।
- 2- संयुक्त निदेशक (अभियोजन) को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली को सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- अध्यक्ष/सचिव, बार एसोसियेशन को सूचनार्थ।
- 5- समस्त सम्बन्धित न्यायालयों को अनुपालनार्थ।
- 6- सत्र लिपिक, माननीय जनपद न्यायाधीश, शामली को सूचनार्थ।
- 7- दण्ड लिपिक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, को सूचनार्थ।
- 8- कम्प्यूटर अनुभाग, जजशिप शामली को सूचनार्थ।

Approval

unes nuneel

11/5/25
District & Session Judge
Shamli